न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 97/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2021/200

उनवान

महेश पुत्र श्री साहब सिंह उम्र 21 वर्ष जाति गूर्जर निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र गोरधन जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. वीरी सिंह पुत्र श्री बच्चू सिंह जाति गुर्जर निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर।
3. धर्म सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 31.03.2017 मि.नं. 291/2009 उनवानी साहब सिंह बनाम रामभरोसी।

अपील संख्याः– 96/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2021/199

उनवान

महेश पुत्र श्री साहब सिंह उम्र 21 वर्ष जाति गूर्जर निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र गोरधन जाति माली निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. वीरी सिंह पुत्र श्री बच्चू सिंह जाति गुर्जर निवासी श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 31.03.2017 मि.नं. 402/2010 उनवानी रामभरोसी बनाम साहब सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।

निर्णय दिनांक–19.02.2024

1. यह दोनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। दोनों अपीलो में समान आराजी, समान तथ्य, समान विषय वस्तु एंव समान पक्षकार होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय की एक–एक प्रति पृथक–पृथक पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

2. अपील संख्या 97/21 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट के पिता साहब सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण असल रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 687/0.26 है0 ग्राम श्रीनगर पर वादीगण अपीलाण्ट के पिता व तरतीवी रैस्पो0 समभाग के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। इस आराजी को वादीगण अपीलाण्ट के पिता साहब सिंह ने अपने पिता/बाबा रामजीलाल से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। प्रतिवादी असल रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। हाल सैटिलमेण्ट ने हाल खसरा नम्बर 687/0.26 है0 को गत खसरा नम्बर 235 मिन रकवा 1 बीघा 14 विस्वा व 250 मिन से बनना मिलान क्षेत्रफल में दर्शित किया है। जबकि गत खसरा नम्बर 235 का कोई भी हिस्सा हाल खसरा नम्बर 687/0.26 है0 में सम्मिलित नहीं है। सैटिलमेन्ट विभाग ने ही गत खसरा नम्बर 235 मिन रकवा 01 बीघा 14 विस्वा से नया खसरा नम्बर 687/1697/0.20 है0 बनाया है। इस गलत इन्द्राज के फलस्वरूप प्रतिवादी असल रैस्पो0 में मन में बेईमानी आ गयी है। अतः वह वादीगण अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी को नहीं मानते। अतः वाद प्रस्तुत कर हाल खसरा नम्बर 687/0.26 है0 से असल प्रतिवादी रैस्पो0 का नाम कलमजन कर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी साहब सिंह के वारिस महेश द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 96 के तहत पेश की गई है।

3. अपील संख्या 96/21 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी असल रैस्पो0 रामभरोसी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण तरतीवी रैस्पो0 व अपीलाण्ट के पिता साहब सिंह के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि वादी असल रैस्पो0 हाल आराजी खसरा नम्बर 687/0.26 व 687/1697/0.20 किता 2 रकवा 0.46 है0 का अभिलिखित व काबिज खातेदार कृषक है। मौके पर वादी असल रैस्पो0 की फसल सरसब्ज खडी है। प्रतिवादीगण तरतीवी रैस्पो0 व अपीलाण्ट के पिता साहब सिंह का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु वह बहुत ही झगडालू व चालाक प्रवृति के व्यक्ति हैं, जो वादी असल रैस्पो0 के कब्जेकाश्त खातेदारी में व्यवधान उत्पन्न करते हैं एवं विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण तरतीवी रैस्पो0 व अपीलाण्ट के पिता साहब सिंह को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रातिवादी साहब सिंह के वारिस महेश द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 96 के तहत पेश की गई है।

4. उक्त दोनों अपीले अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। प्रार्थना पत्र धारा 96 में उनका कथन है कि विवादित आराजी बाबत् रामजीलाल द्वारा अपीलाण्ट के हक में एक वसीयत दिनांक 27.12.1999 को कर दी गयी थी वक्त वसीयत अपीलाण्ट की उम्र 05 वर्ष थी। रामजीलाल की मृत्यु दिनांक 23.06.2003 एवं साहब सिंह की मृत्यु दिनांक 13.06.2019 के बाद वसीयत से स्वतः ही विवादित आराजी पर अपीलाण्ट को हक व हकूक प्राप्त हो गये। अपीलाण्ट सन् 2018 में बालिग हुआ। परन्तु उससे पहले ही अपीलाण्ट के पिता द्वारा रामभरोसी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जबकि अपीलाण्ट के पिता को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं था। इसलिये अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पीडित है। अतः अपील सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की गयी। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन तर्कसंगत नजर आते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

5. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 250 रकवा 2 बीघा एवं खसरा नम्बर 251 रकवा 10 विस्वा का हाल खसरा नम्बर 667/0.20 है0 बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया है जो कि साविक रकवा के 0.20 है0 रकवा कम अंकित किया गया है। जिसकी कार्यवाही अपीलाण्ट के पिता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत की गयी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ की गयी जो दिनांक 21.04.2009 को खारिज हुयी जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में की गयी, जो दिनांक 04.08.2009 को खारिज कर दी गयी। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा रामजीलाल बनाम सरकार दिनांक 29.12.1995 इस प्रकार डिक्री किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 667 रकवा 0.40 एयर का खातेदार रामजीलाल को घोषित किया जाता है। परन्तु बाबजूद डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हो सका। नामान्तकरण भी खारिज हुआ उसकी अपील भी की गयी वह भी खारिज हुयी। सभी मुकदमा में पटवारी हल्का एवं तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 14.12.1998, 18.08.2008 इस प्रकार आयी कि आराजी खसरा नम्बर 667/0.20 मौके पर 0.20 का ही है एवं आराजी खसरा नम्बर 687/0.26 पर रामजीलाल का कब्जा है जो कब्जा पुराना है। वर्तमान में खसरा नम्बर 687/0.20, 687/1697/0.20 पर रामभरोसी रैस्पो0 के नाम खातेदारी दर्ज है परन्तु मौके पर खसरा नम्बर 687 पर रामभरोसी का कोई कब्जा नहीं है उक्त खसरा नम्बर पर रामजीलाल का पुश्तैनी कब्जा है। यह है कि साविक खसरा नम्बर 250 व 251 को मिलाकर नया खसरा नम्बर 667/0.20 बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया है जबकि साविक के अनुरूप दर्ज ना कर 20 एयर रकवा कम अंकित किया गया है। जबकि रकवा 40 एयर होना चाहिये था। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार रकवा कमी वेशी करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर ना करते हुये, राजीनामा के आधार पर दावा खारिज कर दिया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत ही खातेदारी दी जा सकती है। मात्र राजीनामा के आधार पर किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। खसरा नम्बर 250, 251 रामजीलाल की स्वअर्जित कृषि भूमि थी। अपीलाण्ट का रामजीलाल दादा लगता है। उक्त खसरा नम्बर की बाबत् रामजीलाल द्वारा अपीलाण्ट के हक में एक वसीयत दिनांक 27.12.1999 को कर दी गयी थी वक्त वसीयत अपीलाण्ट की उम्र 05 वर्ष थी। रामजीलाल की मृत्यु दिनांक 23.06.2003 एवं साहब सिंह की मृत्यु दिनांक 13.06.2019 के बाद वसीयत से स्वतः ही विवादित आराजी पर अपीलाण्ट को हक व हकूक प्राप्त हो गये। अपीलाण्ट सन् 2018 में बालिग हुआ। परन्तु उससे पहले ही अपीलाण्ट के पिता द्वारा रामभरोसी के पक्ष में अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जबकि अपीलाण्ट के पिता को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं था। इसलिये अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से पीडित है। मियाद के संबंध में उनका निवेदन है कि चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं था एवं दौराने मुकदमा नाबालिग था। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश एवं कानून की जानकारी नहीं थी। तत्पश्चात् कोरोना महामारी आ गयी एवं न्यायालय का कार्य प्रभावित रहा। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2004 पेज 261, 2013 पेज 46, 2003 पेज 201, आरआरटी 2020(1) पेज 37, 2023(2) पेज 1040 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

7. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य है। यह है कि विवादित आराजी रैस्पो0 की खातेदारी में दर्ज अभिलेख है एवं रामभरोसी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध कभी किसी प्रकार का नहीं रहा है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी का दावा किया। जिसे वह किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं कर पाये। तत्पश्चात् रैस्पो0 के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया। दावा 2009 में प्रस्तुत हुआ एवं दिनांक 20.03.2017 को राजीनामा प्रस्तुत होकर सन् 2017 में डिक्री हुआ, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में राजीनामा प्रस्तुत कर डिक्री पारित की गयी हो। राजीनामा में अपीलाण्ट के पिता ने विवादित आराजी को रामभरोसी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त को स्वीकार किया है। राजीनामा पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर हैं। वसीयत के आधार पर राजीनामा के रोज महेश की आयु 22 साल होती है। इस प्रकार तथ्यो को छुपाते हुये अपील प्रस्तुत की गयी है। पुराने दावे को भी जोडने की कोशिश की गयी है। परन्तु उस डिक्री की पालना हो ही नहीं सकती थी क्योंकि किस रकवे से पूर्ति होनी चाहिये कही नहीं बताया। यदि अपीलाण्ट का दावा सही था तो उसे कन्टेस्ट करते, राजीनामा क्यों दिया। वर्तमान में वसीयत को आधार बना रहे हैं। परन्तु वसीयत को साबित नहीं कराया। वसीयत को बिना साबित कराये डिक्री निरस्त नहीं हो सकती। राजीनामा को स्वीकार करते हैं अतः राजीनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना, अपीलाण्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट अपने पिता के द्वारा दिये गये राजीनामा से प्रतिवंधित हैं। डिक्री किस प्रकार गलत है। यह अपीलाण्ट ने कही नहीं बताया। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2020 पेज 221, 1999 पेज 531, 2018 पेज 523, 2020 पेज 301, 01, 729, आरआरटी 2018(2) पेज 879, 1154, आरआडी 1993 पेज 821, 326, डीएनजे 2020 पेज 425 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

8. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 ने राजीनामा पर अत्यधिक बल दिया है। परन्तु राजीनामा पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिसकी पुष्टि राजीनामा पर हो रहे हस्ताक्षर एवं अपील मीमो पर हो रहे हस्ताक्षर से होती है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार मुकदमा ही नहीं थे, तो राजीनामा पर हस्ताक्षर कैसे कर सकते हैं। अपीलाण्ट व राधा गुर्जर की पहचान भी किसी के द्वारा नहीं की गयी है। केवल फर्जी फोटो लगाकर, फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। विवादित आराजी रामजीलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति थी उनकी मृत्यु के बाद वसीयत को ना भी माने तो बाबा के मरने के बाद अपीलाण्ट को विवादित आराजी में स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। रैस्पो0 का रकवा 01 बीघा 10 विस्वा है उससे अधिक के कैसे अधिकारी हो सकते हैं। पिता ने गलत राजीनामा किया तो अपीलाण्ट के अधिकार कैसे समाप्त हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में गलत डिक्री की इसलिये अमल नहीं हो पाया। जब लगातार अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा चला तो अचानक 2017 में कैसे राजीनामा प्रस्तुत किया। वसीयत को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2017 के विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 03.08.2020 को यह कहकर प्रस्तुत की गयी है कि अपीलाण्ट नाबालिग था उसे कानून की जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट जब बालिग हुआ तब कोरोना महामारी का प्रभाव आ गया एवं न्यायालय कार्य बाधित रहे। अतः कोरोना महामारी होने एवं जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। हमने मनन किया। न्यायालय के मत में प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, हम अपील प्रस्तुत करने में देरी को क्षमा करते हुये, जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट को अन्दर अवधि शुमार किया जाना न्यायोचित समझते हैं। वैसे भी मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना वांछनीय रहता है।

10. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पिता साहब सिंह, वीरी सिंह व धर्म सिंह ने रैस्पो0 के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर विवादित आराजी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपना कोई संबंध सरोकार नहीं होना एवं भविष्य में उनका व उनके वारिसान का कोई संबंध विवादित आराजी से नहीं होना व विवादित आराजी पर रामभरोसी को ही खातेदार कृषक होना बताया गया है। तत्समय भी राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी पर रामभरोसी ही एक मात्र खातेदार काश्तकार दर्ज था। अपीलाण्ट के पिता अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का नाम जमाबन्दी में अंकित नहीं था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि राजीनामा के आधार पर रैस्पो0 को विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जब अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष रैस्पो0 के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर चुके हैं एवं अपना विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं होना कथन करते हैं, तो अपीलाण्ट अपने पिता द्वारा किये गये राजीनामा से प्रतिबंधित हैं। जहॉ तक राजीनामा पर फर्जी हस्ताक्षर होने का प्रश्न है, तो अपीलाण्ट को उक्त राजीनामा को अवैध घोषित कराने हेतु आदिनांक तक सक्षम न्यायालय में चाराजोही क्यों नहीं की गयी। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– आदेश 23 नियम 3– अनुसार राजीनामे पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकारो की शिनाख्त अधिवक्ताओ के द्वारा की गयी हो तो कोई भी पक्षकार राजीनामे के बाबत् इनकार नहीं कर सकता। जहॉ तक अपीलाण्ट अपने पक्ष में विवादित आराजीयात की वसीयत होना कथन करते हैं, तो उक्त कथित वसीयत से भी उन्हें न्यायालय हाजा से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 63 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत साबित करवाना होता है एवं यह कार्य केवल नियमिल वाद के माध्यम से ही संभव है। हस्तगत अपील में वसीयत से उन्हें कोई अनुतोष प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

11. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2017 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.02.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर